न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–02/2012–13

रम्भा देवी **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16.3.18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद रम्भा देवी, पति अनुज कुमार सिंह, राम नगर दियारा, थाना–अथमलगोला, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 149/07(रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 842(आ0) दिनांक 02.12.2011 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001/2004 के कंडिका–4 के एवं विलम्ब (Limitation) नियम की कंडिका–5 के अंतर्गत अपील आवेदन दाखिल किया। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 17.08.2012 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्ता के बिमार होने के कारण अपील बिलम्ब से दाखिल किया। अपीलकर्ता द्वारा सुनवाई के लिए समय की मांग की गयी, जिसे स्वीकृत करते हुए, अगली तिथि 25.10.2012 निर्धारित की गई। दिनांक 22.02.2013 को अपील वाद को प्रतिग्रहित करते हुए, निम्न न्यायालय का अभिलेख मांग किया गया। दिनांक 24.01.2014 को अभिलेख प्राप्त। दिनांक 16.03.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा बिना सुनवाई के मौका दिये एवं बिना तथ्य पर सही विचार करते हुए, अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के विपरीत है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध दुकान संचालन सम्बन्धी कोई शिकायत है अथवा सरकार के दिशा निर्देशों के विरूद्ध है, तो सर्वप्रथम नब्बे दिनों के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित की जानी चाहिए एवं जिला चयन समिति का अनुशंसा भेजी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया, जो सिद्धान्त के विरूद्ध है। उनके द्वारा इन्हीं आधारों पर अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 842(आ0) दिनांक 02.12.2011 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।	

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा पारित आदेश नियम विरूद्ध है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने दिनांक 21.11.2011 को स्वंय अपीलकर्ता की दुकान की जांच की। जांच के दौरान उपस्थित करीब 150 से ज्यादा महादलित परिवार के उपभोक्ताओं ने अपीलकर्ता के गलत व्यवहार की शिकायत थी। मौके पर उपस्थित सतर (70) लाभुकों का ब्यान कलमबद्ध किया गया। अपीलकर्ता के विरूद्ध अस्पृष्टयता का भाव रखने, कम मात्रा में अनाज देने, अशिष्ट व्यवहार करने जैसा गम्भीर आरोप पाए गए। जिसके सम्बन्ध में उनसे कारण पृच्छा की गई। अपीलकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकण में लाभुकों द्वारा स्वेच्छा से कूपन दिए जाने की बात कही है, जो सत्य से परे है। पूर्व में भी अपीलार्थी द्वारा लाभुकों से जबरन कूपन फाड़ने की बात अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक 174 दिनांक 15.03.2011 द्वारा गठित संयुक्त जांच दल सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी बाढ़ एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था।

अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के द्वारा पूर्व में भी पत्रांक 347 दिनांक 02.06.2011 से अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था एवं भविष्य में पुनरावृति नहीं करने की चेतावनी दी गयी। परन्तु अपीलार्थी की आदत में सुधार नहीं हुआ। अपीलकर्ता द्वारा पुनः सितम्बर का B.P.L (गरीबी रेखा के नीचे) एवं अन्त्योदय का खाद्यान्न का उठाव नहीं किया। जबकि 27.10.2011 तक प्रखण्ड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न उठाव कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक 744 दिनांक 27.10.2011 द्वारा अपीलकर्ता से कारणपृच्छा की गई एवं बुलाकर अनाज उठाव कराकर वितरण सही तरीके से करने का मौखिक निदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी माह सितम्बर–11 के अन्त्योदय एवं B.P.Lके खाद्यान्न के वितरण के दौरान ही सभी महादलित परिवार के उपभोक्ताओं से अक्टुबर–11 का कूपन जबरन फाड़ लिया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अपीलकर्ता अनियमितता बरतने एवं उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार के आदी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद उनके आदत एवं रवैया के कारण उपभोक्ताओं के हित में उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने सम्बन्धी मुखर आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता के द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन में अनियमितता बरतने एवं उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार करने का तथ्य अनुमंडल पदाधिकारी को पूर्व में कई बार प्रतिवेदित किया गया। अपीलकर्ता को अपनी आदत में सुधार करने का मौका अनुमंडल पदाधिकरी द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से दिया गया। अंततः अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच की गयी एवं उनके द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध पूर्व में प्रतिवेदित आरोप यथावत पाए गए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को ससमय खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके हित में उन्हें शोषण से बचाने हेतु अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द करने सम्बन्धी मुखर आदेश पारित किया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 842 (आ0) दिनांक 02.12.2011 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/3/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

16/3/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।